मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ३ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ४-ग का स्थापन.

५. धारा ५ का लोप.

६. धारा ५-क का संशोधन.

७. धारा ६-क का संशोधन.

८. धारा ६-ख का संशोधन.

९. धारा ६-ग का संशोधन.

१०. धारा ७ का संशोधन.

११. धारा ७-क का अन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में शब्द ''दस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''तीस हजार'' स्थापित किये जाएं. **धारा ३ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द ''पच्चीस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पैंतीस हजार'' स्थापित किए जाएं. **धारा ४ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा ४-ग का स्थापन.**

'' ४-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रुपए प्रतिमास कम्प्यूटर आपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जाएगा.''. **कम्प्यूटर आपरेटर/अर्दली भत्ता.**

५. मूल अधिनियम की धारा ५ का लोप किया जाए. **धारा ५ का लोप.**

६. मूल अधिनियम की धारा ५-क में,— **धारा ५-क का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द ''६,००० किलोमिटर'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''१०,००० किलोमीटर'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द ''तीन हजार'' के स्थान पर, शब्द ''चार हजार'' स्थापित किए जाएं.''.

७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,— **धारा ६-क का संशोधन.**

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द ''पन्द्रह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''बीस हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे.''.